राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन, जयपुर–302004
दूरभाष नं 0141–2706534, 2706496

मुद्रण व बाइंडिंग कार्य
सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र

'प्रपत्र अ'

सेवामें,
श्रीमान् निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

विषयः मुद्रण व बाइंडिंग कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में दर संविदा।
संदर्भः आपकी विज्ञप्ति कमांकः एफ11(3) Printing / Tendar / 15–16 / 618 दिनांक :21.4.15

महोदय,

उरोक्त विषयान्तर्गत व संदर्भित विज्ञप्ति के कम में हम आप द्वारा विज्ञापित मुद्रण व बाइंडिंग कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में वांछित विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो निम्नानुसार है–

1. फर्म का परिचय

   (क) नाम : ....

   (ख) पूरा पता : ....

   ....

   (ग) फोन नं. : .... फैक्स नं. ....मोबाइल नं : ....

   ई–मेल...

   (ड.) शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन नं. : .... (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्नं)

   (च) बिकीकर पंजीयन संख्या...

2 हम निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी दर संविदा सूचना संख्या **618** दिनांक **21.4.15** में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त दर संविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

3 दर संविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस दर संविदा का भाग मानी जावेगी।

4 केवल दर संविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'क' से 'घ' में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाऐं। संस्थान प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होगी। दरों में कोई कटिंग मान्य नहीं है।

5. उपकरणों की उपलब्धता (बिल की फोटोप्रति संलग्न करें व ओरिजनल साथ रखें)

   (क) कम्पोजिंग यूनिट कम से कम दोः ....

(ख) स्कैनिंग यूनिट कम से कम एकः ....

(ग) नेगेटिव/पॉजिटिव/आउटपुट एक :..

(घ) छपाई की मशीनें : जिसमें 4 कलर में छपाई की मशीन होना अनिवार्य है–

1. मल्टी 4 कलर 23 X 36 ....

2. मल्टी 4 कलर 18 X 23 ....

3. सिंगल कलर 23 X 36 ....

(च) बाइंडिंग यूनिट

– स्टिचिंग मशीन कम से कम एक ....

– कटिंग मशीन कम से कम एक ....

(छ) बाइंडिंग की गति प्रतिदिन ....

(ज) कम्प्यूटर टू प्लेट मेकिंग मशीन कम से कम एक..

(झ) डिजिटल प्रिंटिंग मशीन कम से कम एक...

6. अकादमिक सहयोग

(क) प्रूफ रीडिंग की व्यवस्था हां/नहीं

(ख) डिजायनर की व्यवस्था (नाम सहित)...हां/नहीं

7. जयपुर से बाहर की प्रिटिंग फर्म होने की स्थिति में जयपुर में फर्म का आफिस होना अनिवार्य है,

जिसका पता...

....

फोन नं...

संम्पर्क व्यक्ति का नाम...

फोन नं. ....

इ–मेल..

मैं/हम घोषणा करता हूॅ/करते हैं कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं सत्य हैं एवं कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय बिड प्रपत्र 'क'

कागज व छपाई की दरें

(समस्त दरें प्रति वर्ग इंच में लिखें। समस्त दरेंरूपयो में समस्त करों सहित दी जानी हैं)

ऑफसेट प्रिंटिंग हेतु

पेपर किस्म	जी.एस.एम.	1000 प्रति तक			5000 प्रति तक			10000 प्रति तक			25000 प्रति तक			50000 प्रति तक			1 लाख प्रति तक			कागज लीफ की दर
		काली स्याही	टू कलर	मल्टी कलर	काली स्याही	टू कलर	मल्टी कलर	काली स्याही	टू कलर	मल्टी कलर	काली स्याही	टू कलर	मल्टी कलर	काली स्याही	टू कलर	मल्टी कलर	काली स्याही	टू कलर	मल्टी कलर	
एच.पी.सी. क्रिमवोस	80																			
	90																			
	100																			
आर्ट पेपर	100																			
	130																			
	150																			
	170																			
आर्ट कार्डशीट	220																			
	300																			
सुपर सनशाइन	80																			
	100																			
	120																			
	150																			
सादा कार्डशीट	200																			
	300																			
कवर पेपर	80																			
	100																			
	120																			
	150																			
इंपोर्टेड आर्ट पेपर	100																			
	130																			
	150																			
	170																			
इंपोर्टेड कार्ड शीट	200																			
	300																			

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय बिड प्रपत्र 'ख'

बाइंडिग की दरें

(अ) बाइंडिंग किस्म	4 पेज प्रति फार्म	प्रति वर्ग इंच	प्रति रनिंग इंच
सेन्टर पिन		00000	00000
जूजबन्दी		00000	00000
पेपर बैक	00000		00000
परफैक्ट	00000		00000
हार्ड बाउन्ड	00000		00000

(ब) बाइंडिंग किस्म	20 पेज तक	40 पेज तक	80पेज या अधिक
स्पाइरल प्रति रनिंग इंच			
वायरो प्रति रनिंग इंच			

गत्ता स्टैंड प्रति वर्ग इंच मय गत्ता	

लिफाफे की दरें

वित्तीय बिड प्रपत्र 'ग'

साइज	दर प्रति वर्ग इंच
लिफाफे बनाना	रू. ....
गमिग स्ट्रिप	रू. ....
मुद्रित पेपर से लिफाफे बनाना डाई कटिंग क साथ	रू. ....
लिफाफें बनाना कवर गमिग रेपर के साथ	रू. ....

लेमिनेशन की दरें

वित्तीय बिड प्रपत्र 'घ'

साइज	दर प्रति वर्ग इंच
थर्मल ग्लॉस लैमिनेशन	रू. ....
थर्मल मैट लैमिनेशन	रू. ....
यू.वी कोटिंग/स्पॉट लैमिनेशन	रू. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

मुद्रण कार्य संबंधी दरें <u>वित्तीय बिड प्रपत्र 'च'</u>

(1) कम्पोजिंग सेटिगं सहित (तीन प्रूफ)	रु................प्रति पृष्ठ
(2) नेगेटिव– लाइनटोनहाफटोन	रु...............प्रति वर्ग इंच
(3) पॉजिटिव	रु...............प्रति वर्ग इंच / प्रति कलर
(4) कलर आउटपुट	रु...............प्रति वर्ग इंच / प्रति कलर
(5) कलर स्कैनिंग	रु...............प्रति वर्ग इंच / प्रति कलर
(6)डिजिटल प्रिंटिंग 13" x19" एक तरफ	रु...............
(7)डिजिटल प्रिंटिंग 13" x19" दोनों तरफ	रु...............
(8)डिजिटल प्रिंटिंग 9" x11"	रु...............
(9)डिजिटल प्रिंटिंग 9" x11" दोनों तरफ	रु...............
(10)डिजायनिंग चार्जेंज A4 साइज	रु...............प्रति पृष्ढ
(11) प्लेटमेकिंग साधारण	रू..............प्रति वर्ग इंच
(12) प्लेटमेकिंग पी.एस.	रू..............प्रति वर्ग इंच

निविदादाता के हस्ताक्षर

(रु. 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर)

निविदा द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचना सत्य है। यदि असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरुप से समाप्त/जप्त कर दिया जाए तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जावे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मुझे/हमारी फर्म/कम्पनी को किसी भी कार्यालय/विभाग द्वारा काली सूची **(Black List)** में नहीं डाला गया हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम
डाक पता
मोबाइल नम्बर
फोन नं.

नोटः इस घोषणा पत्र को नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

(देखिए नियम 48(vii))

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने मुद्रण एवं बाईन्डिंग कार्य के लिए निविदा दी है, यह कार्य करने के लिए हमारे पास ऑफसैट मुद्रण मशीने एवं बाईन्डिंग मशीन उपलब्ध है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

नोटः– संबंधित पर राईट का निशान (√) लगावें।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर

मुद्रण एवं बाईडिंग कार्य के लिए निर्धारित शर्ते

टिप्पणीः— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरुपेण पालना करना चाहिए।

1. दर संविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस दर संविदा का भाग मानी जावेगी।
2. केवल दर संविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'क से च' में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाऐं। संस्थान के प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होगी। दरों में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिये अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जा सकती है।
3. दर संविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी जिसमें से एक लिफाफे में 'तकनीकी बिड' लिखा हो, इसमें दर संविदा फार्म (प्रपत्र 'अ'), फर्म से संबंधित प्रमाण पत्र, घोषणा विवरण पत्र एवं वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा धरोहर राशि सूचनाएं पत्रादि हों। तथा दूसरा लिफाफा, जिस पर वित्तिय बिड लिखा हो, में दरों का प्रपत्र 'क से च' बन्द होना चाहिए ये दोनो लिफाफे एक अलग (तीसरे) लिफाफे में जिस पर बड़े अक्षरों में ''पेपर मुद्रण कार्य हेतु दर संविदा'' लिखा हो, में होनी चाहिए।
4. दरों के लिफाफे के ऊपर ''वित्तिय बिड'' एवं दर संविदा फार्म व प्रमाण पत्र वाले लिफाफे पर ''तकनीकी बिड'' स्पष्ट तौर पर अंकित होना चाहिये।
5. विभाग द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड का लिफाफा खोला जावेगा। जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगेः—
   - I. दर संविदा फार्म प्रपत्र 'अ'(मय हस्ताक्षर व मोहर)
   - II. अमानत राशि, लागत का दो प्रतिशत, का बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट (लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में नियमानुसार छूट देय होगी)
   - III. दिनांक 31.03.2015 का बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र।
   - IV. मशीनरी से संबंधित विवरण जिसमें पेपर मुद्रित करने के लिए वांछित मशीनरी के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
   - V. राजकीय विभागो, उपक्रमों एवं कम्पनियों में इसी प्रकार के मुद्रण संबंधी कार्य का गत तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र।
   - VI. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर जो कि कार्य की अनुमानित लागत के दोगुना या उससे अधिक हो। आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
   - VII. आयकर पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति ।
   - VIII. मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी का विवरण संलग्न करावें।
   - IX. यदि फर्म लघु उद्योग इकाई है तो सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग इकाई के पंजीयन की मूल प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति।
   - X. फर्म के लैटर हैड पर विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र
   - XI. दर संविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस दर संविदा के लिये विशेष रुप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।

6. वित्तीय निविदाएं अलग सीलबंद लिफाफे में जिसपर वित्तीय बिड लिखा हो, केवल प्रपत्र 'क से च' में प्रस्तुत की जानी चाहिये।
7. निविदाएं बॉल पैन अथवा स्याही के पैन से भरी जानी चाहिए। पेन्सिल से भरी जाने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निरस्त कर दी जावेगी।
8. निविदा प्रपत्र में उपरी लेखन (Over Writing) नहीं की जानी चाहिए। यदि उपरलेखन अपरिहार्य हो तो इसपर काउन्टर सिग्नेचर (प्रति हस्ताक्षरित) किया जाना चाहिये।
9. निविदाएं निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। सफल निविदादाता को अनुमोदित दरों पर समय–समय पर दिए जाने वाले आपूर्ति आदेशानुसार सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
10. निविदाएं राजस्थान में बिक्री कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो द्वारा दी जानी चाहिए। अपंजीकृत फर्मो की निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी। बिक्री कर पंजीयन संख्या का निविदा में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। निविदादाता अपनी निविदा के साथ फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करे ।
11. मुद्रण कार्य आफसेट पद्धति से करना होगा।
12. मुद्रित सामग्री के पेपर, रजिस्र्टड लैबोरेट्री से जांच करवाना होगा, जिसका खर्च फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
13. निविदाएं खोले जाने के तीन माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
14. निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।
    अ. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस ले लेता है।
    ब. जब निविदादाता विदिर्निष्ट समय में अनुबंध/करार को निष्पादित नहीं करता है तथा प्रतिभूति राशि को जमा नहीं कराता है।
15. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा।
16. प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा संविदा की किन्ही शर्तो का उल्लंघन करने, संतोषजनक ढंग से आपूर्ति न करने पर प्रतिभूति राशि को जब्त किया जा सकता है।
18. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के परिवहन के मार्ग में टूट–फूट/क्षतिग्रस्त या कम होने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। सामग्री सही हालत में एवं अनुमोदित नमूनों के अनुसार होने पर आपूर्ति स्वीकार की जावेगी।
19. विहित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए परिसमपित नुकसानी की वसूली की जावेगीः–
    1. क. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिए –2.5 प्रतिशत
       ख. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के आधे अवधि के लिए– 5 प्रतिशत
       ग. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अवधि के लिए– 7.5 प्रतिशत
       घ. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत
    2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा।
    3. परिसमार्पित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
    4. यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की आपूर्ति करने के लिए वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदायगी पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

20. यदि संविदा के विर्वचन (Interpretation) आश्य या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
21. समस्त विधि कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो किसी भी पक्षकार (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर या ठेकेदार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
22. शेष शर्ते राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के भाग द्वितीय के नियम 68 के तहत् एस. आर. प्रारुप 16 में वर्णित के अनुसार लागू होगी।
23. यदि निविदादाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रुप में रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इसमें से किसी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पक्ष में विशेष रुप से उल्लेखित न किया गया हो।
24. बीमा– यदि निविदादाता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्य (जैसे युद्व, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा यदि ऐसा बीमा किया जाता है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।
25. यदि उक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो बिना पूर्व सूचना दिये ठेके को निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
26. मुद्रित सामग्री, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में सप्लाई करने होंगे।
27. फर्म को सामग्री की आपूर्ति अन्तिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से निर्धारित 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी। विभाग द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषयवस्तु फर्म को उपलब्ध करवायी जावेगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाइन तैयार कर उसका अनुमोदन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा अधिकृत संबंधित विषय विशेषज्ञ से करवाया जाना होगा तथा अन्तिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात् ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। प्रूफ डमी को विभाग को अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अन्तिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं को खर्चे पर मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जावेगी।
28. फर्म को आदेशित सामग्री का निर्माण आदेशित कागज एवं जी.एस.एम. में ही करना होगा। आदेशित जी.एस.एम. में भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मान्य को ही विभाग द्वारा मान्य किया जा सकेगा। इससे अधिक जी.एस.एम. में कमी पर नियमानुसार बिल में से राशि काटी जावेगी।
29. फर्म को भेजे जोने वाले प्रूफ के कागज के दोनों हॉशियों पर संशोधन करने हेतु पर्याप्त जगह की व्यवस्था करनी होगी।
30. मुद्रण कार्य विभाग के निर्देशानुसार अनुमोदित डिजायन के अनुसार करना होगा।
31. निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रुप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने एवं उपकरणों का नियमानुसार परीक्षण करवाने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
32. मुद्रित सामग्री प्राप्त हो जाने पर मुद्रक को बिल दो प्रतियों में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में प्रस्तुत करना होगा जिसके उपरान्त ही भुगतान संभव हो पायेगा।

33. किए गए मुद्रण कार्य की फोटो, नेगेटिव, डमी के मेटर आदि निदेशक के द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी ।
34. सफल निविदाकार/निविदाकारों को निर्धारित प्रारुप में 1000/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा और संविदा की यथावत क्रियान्विती के लिए अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रुप में करार पर हस्ताक्षर से पूर्व जमा करवाने होंगे। प्रतिभूति की रकम पर ब्याज नहीं दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने की व्ययों का संदाय निविदाकार करेगा। विभाग द्वारा निविदाकार को स्टाम्प लगे हुए निष्पादित करार की एक सत्यापित प्रति निःशुल्क दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतया या अंशतः जमा जप्त कर ली जावेगी और इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
35. निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी की राशि सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात लौटा दी जावेगी।
36. किसी भी निवदा को बिना कारण बताए स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक को होगा।
37. सीलबन्द लिफाफे में निविदा, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, दूरदर्शन के दक्षिण में, झालाना डूंगरी, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक पँहुच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। सीलबन्द लिफाफे के ऊपर 'मुद्रण कार्य हेतु निविदा' अंकित हो।
38. निविदादाता को निविदा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करनी होगी। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार नही होगा। कोई भी कॉलम रिक्त न छोडें।
39. मुद्रक को निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ट पर स्वयं अपना नाम, फर्म की सील व हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित करने होगे।
40. निविदा की शर्तो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्ते स्वीकार नही होंगी।
41. किसी भी विवाद की दशा में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
42. निविदा का कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालय का कहीं कोई सामग्री प्रेस में रह जाती है तो कार्यालय, प्रेस से वसूल कर सकेगा।
43. पेपर मुद्रित सामग्री की आपूर्ति अन्तिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से सामान्यतः 15 दिवस की अवधि में कर दी जायेगी। संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी व वृद्वि की जा सकती है।
44. पेपर मुद्रण कार्य हेतु प्रपत्रों में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए है जिसे आपसी सहमती से छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा कार्य के विभिन्न आकारों एवं चरणों में संस्थान की आवश्यकतानुसार आपूर्ति कर दी जावेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उक्त कार्य दर संविदा सूचना में उल्लेखित कार्य के अलावा अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं करवाया जाएगा एवं दर संविदा सूचना में उल्लेखित कार्य के अलावा अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर एक वर्ष से पूर्व ही उक्त दर संविदा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

45. बयाना राशि कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत ली जायेगी, लेकिन राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए अनुमानित लागत के मूल्य की 0.5 प्रतिशत बयाना राशि ली जाएगी तथा प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत ली जाएगी लेकिन राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए अनुमानित लागत के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जावेगी तथा सफल निविदादाता के निवेदन स्वरूप बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकेगा। अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी दर संविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करेंगे। साथ ही लघु उद्योग इकाई (S.S.I. Units)को उसे प्राप्त पी.पी.सी. प्रमाण–प्रत्र अथवा उसकी प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।
46. मुद्रण कार्य के लिए प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।
47. कच्चा माल यथा कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल, आदि दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
48. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में पैक कर संस्थान के स्टोर में पहॅचानी होगी। मुद्रक को इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
49. कार्य की अनूमानित लागत के लिये किसी न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी।
50. आवश्यकतानुसार मुद्रण कार्य हेतु एक पैनल भी तैयार किया जा सकेगा।
51. दर संविदा के अधीन दर संविदा धारक, दर संविदा के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर मुद्रण कार्य की कीमत कोट करता है तो, उस दर संविदा के अधीन कीमत कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जावेगी। तथा ये पैनल में जुडी सभी अंकीत फर्मों पर भी लागू होगा ।
52. दर संविदा के अधीन मुद्रण कार्य हेतु सम्बन्धित सामग्री की दरों में कमी होने पर दर संविदा तदनुसार संशोधित की जावेगी।
53. मुद्रण निविदा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के विवादों हेतु न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते अच्छी तरह से पढ़ ली है और मै/हम इन्हें स्वीकार करता/करते हूं/है।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर